न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 470 / 2022

अनवान : –

1. धनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हीराराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी कुन्जी तहसील भादरा।
2. नत्थुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. लिछमा देवी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. नानकोरी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री निराणी जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. दलीप कुमार पुत्र निराणी जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 13.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 201 / 193 के ख0न0 221 / 1, 238, 323, 51 की कुल 17.3640है0 भूमि में से 4088 / 4341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा प्रतिवादी स0 1 ने उक्त भूमि में से 1265 / 17364 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी स0 2 की पत्नी संतोष के नाम करवा दी तथा रोही मौजा किंकराली तहसील भादरा के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 158 / 154 के खसरा न0 147 / 5 की 1.3280है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 ने उक्त वाद भूमि में से 1.2650है0 भूमि अपनी पुत्र वधु सन्तोष पत्नी नत्थुराम के जरिये दानपत्र दिनांक 27.04.2022 को करवा दी जो उप पंजीयक खुईया में पंजीकृत है। प्रतिवादी स0 1 जो कि वादी का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चु[illegible]तिवादीया स0 4 व 5 वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी स0 6 व 7 वादी [illegible] स0 4 ता 7 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते [illegible] हिस्सा है अपने [illegible]मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उक्त वाद [illegible] वादी एवं प्रतिवादी[illegible] ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है। रोही मौजा किंकराली तहसील भादरा के खाता स0 158 / 154 की 1.3280है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि एवं रोही मौजा जोखासर के खाता स0 201/193 की 4.628है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि में से 4.628है0 भूमि पर प्रतिवादी स0 2 काबिज है व शेष 5.831है0 भूमि पर प्रतिवादी स0 3 काबिज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 8 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 201/193 में हिराराम के नाम दर्ज भूमि धन्नाराम व नत्थुराम को 5–5 बिघा कम करके हिराराम का नाम कलमजन किया जाकर यह भूमि वादी के नाम 4.628 हैक्ट भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 नत्थुराम के नाम 4.628 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 कालुराम के नाम 5.931 हैक्ट भूमि दर्ज की जावें इसी अनुसार दावा में संशोधन किया जावें। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा एतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 तथा प्रतिवादीया स0 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के खाता स0 201/193 के ख0न0 221/1, 238, 323, [illegible] 5029/5758 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा किकराली तह[illegible]बंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 158/154 के खसरा न0 147/5 की 1.3280है0 भू[illegible] प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 201/193 की कुल 17.3640है0 भूमि में से 5029/5758 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 4.628 हैक्ट भूमि का वादी को तथा 4.628 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को एवं शेष 5.831 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 470/2022

अनवान : –

1. धनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हीराराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी कुन्जी तहसील भादरा।
2. नत्थुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. लिछमा देवी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. नानकोरी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री निराणी जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. दलीप कुमार पुत्र निराणी जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 201/193 की कुल 17.3640है0 भूमि में से 5029/5758 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में से 4.628 हैक्ट भूमि का वादी को तथा 4.628 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को एवं शेष 5.831 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:46:56 IST
Reason: SelfAttested